रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062023-246732
CG-DL-E-21062023-246732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2023/ज्येष्ठ 31, 1945
No. 365] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2023/JYAISHTHA 31, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2023

सा.का.नि. 454(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 94 के साथ पठित धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (यछ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) (संशोधन) नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के, नियम 3 के, उप नियम (1) में -

   (i) खंड (घ) में शब्द 'सीधे विक्रेताओं के माध्यम से' के स्थान पर शब्द "सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

   (ii) खंड (छ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-